



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072022-237146
CG-DL-E-07072022-237146

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2946]
No. 2946]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 2022/आषाढ़ 15, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 2022/ASHADHA 15, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2022

का.आ. 3096(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य के अन्नमय्या जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (कि.मी. 9/600 नया रारा-71) कि.मी. 182/600 से कि.मी. 184/600 पर लेवल क्रॉसिंग संख्या. 95 के कि.मी. 183/600 स्थान पर आरओबी निर्माण (दो लेन / चार लेन का बनाना आदि) प्रबंधन, प्रचलन और आरक्षण हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के अन्नमय्या जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (कि.मी.9/600 नया रारा-71) कि.मी.182/600 से कि.मी.184/600 के पर लेवल क्रॉसिंग संख्या.95 के कि.मी.183/600 स्थान पर आरओबी निर्माण के संबंध में तक भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	रेवन्यू डिविजनल आफिसर, मदनपल्ले,	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	आंध्र प्रदेश	अन्नमय्या	मदनपल्ली	1 कोत्तवारिपल्ले 2 चिन्नातिप्पा समुद्रम

	अन्नमय्या डिस्ट्रिक्ट	NH205 के कि.मी. 182.6 से 184.6 तक			
--	--------------------------	---	--	--	--

[फा. सं. RW/NH-12014/AP(14)LA/16-S&R(B)]

राजेश गुप्ता , निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2022

S.O. 3096(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk/Mandals and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (Widening / 4 laning etc.,) maintenance, management and operation of the National Highway No.205 (Km.9/6 of New NH-71) from Km.182/600 to Km.184/600 on the stretch of land for “Construction of 2 lane ROB in lieu of Level Crossing No.95 at Km.183/600 on NH-205” in Annamayya District in the State of ANDHRA PRADESH.

SCHEDULE

Acquisition of land in respect of National Highway No.205 from Km.182/600 to Km.184/600 (Km.9/6 of New NH-71) Construction of 2 lane ROB in lieu of Level Crossing No.95 at Km.183/600 in Annamayya District in the state of ANDHRA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Revenue Divisional Officer, Madanapalle, Annamayya District	182.6KM To 184.6KM	ANDHRA PRADESH	Annamayya	Madanapalle	1 Kothavaripalle
						2 Chinnathippa Samudram

[F. No. RW/NH-12014/AP(14)LA/16-S&R(B)]

RAJESH GUPTA, Director